विशेष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदड़, आर. ए. एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :— 20/2025

उनवान

1. सुल्तान सिंह पुत्र रामचन्द्र, जाति गुर्जर, निवासी बाछडी मौहल्ला गर्ल्स कॉलेज के पास—शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. भवन एवं पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये ए.ई.एन. शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती इन्द्राज

आदेश दिनांक :— 6/5/2026

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि साबिका आराजी खसरा नं0—2303 रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा, बिस्वा कुल 2304 रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा, 2307 रकबा 6 किता—3 रकबा 2 बीधा 14 बिस्वा वाकै ग्राम—शाहपुरा स्थित है जिसकी साबिका खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा छोटा पुत्र गोमा व उसके भाई महादेव के नाम मय दीगर आराजी दर्ज रही है नकल जमाबन्दी हाल सं0—2008 से 2027 खाता सं0—398 संलग्न प्रार्थना पत्र है। यहकि कस्बा—शाहपुरा में जब नेशनल हाईवे सं0—8 की सडक निर्माण किया गया उस समय प्रार्थना पत्र की खण्ड सं0—1 में वर्णित साबिका खसरा नं0—2303 मे से 11 बिस्वा, खसरा नं0—2304 में से 16 बिस्वा, खसरा नं0—2307 मे से 5 बिस्वा भूमि राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गयी व अवाप्तशुदा भूमि अप्रार्थी सं0—2 द्वारा की गयी जिसके सम्बन्ध में अप्रर्थी सं0—2 के पक्ष में नामान्तकरण सं0—491 दिनांक—16.04.1974 तस्दीक किया गया व उसके पश्चात अप्रार्थी सं0—2 द्वारा नेशनल हाईवे सं0—8 निकाला गया। यहकि प्रार्थी के पूर्वजो की उक्त भूमि में खण्ड सं0—2 में वर्णित भूमि अवाप्त होने व नेशनल हाईवे सं0—8 का निर्माण होने के पश्चात उक्त खातेदारान की खातेदारी में शेष रही भूमि के बटा नम्बर कायम कर खसरा नं0—2303/1 रकबा 12 बिस्वा, 2304/1 रकबा 9 बिस्वा 2307/1 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा कायम किये जिसकी खातेदारी प्रार्थी के पूर्वज छोटा व उसके भाई महादेव के नाम दर्ज की किन्तु सहवन से उनकी जाति गुर्जर के बजाय जाट अंकित कर दी। यहकि प्रार्थी के दादा छोटू व उसके भाई की खातेदारी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

भूमि साबिका खसरा नं0–2304 के हाल खसरा नं0–4032 रकबा 0.14 हैक्टर, 2303 मी व 2307 मी को मिलाकर हाल खसर नं0–4033 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता–2 रकबा 0.25 हैक्टर निर्धारित किये जाकर उसकी खातेदारी रजस्व रिकार्ड में महादेव व छोटा के वारिसान के नाम दर्ज की गयी किन्तु हाल सेटिलमेन्ट कार्यवाही में साबिका खसरा नं0–2303/1 रकबा 2 बिस्वा, 2304/1 रकबा 9 बिस्वा, 2307/1 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा का हाल मेट्रिक प्रणाली के अनुसार रकबा 0.27) है० होना चाहिये था। यहकि हाल खसरा नं0–4032, 4033 की खातेदारी महादेव व छोटा के वारिसान के नाम दर्ज होने के पश्चात महादेव के वारिसान ने अपने 1/2 भाग की भूमि श्री महेन्द्र सिंह पुत्र ब्रजराज सिंह जाट को विक्रय कर दी तथा छोटा के 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी प्रार्थी के पिता रामचन्द्र व उसके गैंदालाल, मालीराम, हनुमान सूरज, प्रकाश व प्रार्थी की दादी नानगी पत्नि छोट के नाम दर्ज की गयी वर्तमान में उक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में नगरपालिका–शाहपुरा के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी हाल सं0–2074 से 2077 पेश है। यहकि प्रार्थी के दादा छोटू की उपरोक्त साबिका खातेदारी भूमि खसरा नं0–2307 के उत्तर में साबिका खसरा नं0–2308 गैर मुमकिन रास्ता व उक्त खसरा नं0–2308 के उत्तर में साबिका खसरा नं0–2310, 2311 स्थित है हाल सेटिलमेन्ट कार्यवाही में प्रार्थी के दादा छोटू की खातेदारी भूमि साबिका खसरा नं0–2307 व उसके उत्तर में स्थित साबिका खसरा नं0–2308, 2310, 2311 का हाल खसरा नं0–4034 रकबा 0.11 हैक्टर कायम कर साबिका नक्शा ट्रेस के विपरीत हाल नक्शा ट्रेस बनाकर प्रार्थी की भूमि साबिका खसरा नं0–2307 की उत्तरी तरफ की 2) एयर भूमि हाल खसरा नं0–4034/011 हैक्टर के दक्षिण तरफ गलत नक्शा बनाकर उसमें शामिल कर उसकी खातेदारी अप्रार्थी सं0–2 के नाम दर्ज कर दी। हाल खसरा नं0–4034 को मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसर नं0–2307 मी से भी बनना दर्शाया जाकर उसकी खातेदारी अप्रार्थी सं०–2 के नाम दर्ज कर दी जबकि साबिका खसरा नं0–2307 में सडक में अवाप्त भूमि के अलावा 'शेष भूमि से अप्रार्थी सं0–2 या अन्य किसी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध अधिकार व कब्जा नहीं रहा है प्रार्थी साबिका के अनुसार अपने दादा के समय से काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। यहकि हाल सेटिलमेन्ट कार्यवाही में उपरोक्त प्रकार किये गये परिवर्तन से प्रार्थी के दादा छोटू की खातेदारी भूमि खसरा नं0–2307 के उत्तरी तरफ की $2^{1/2}$ एयर भूमि अप्रार्थी सं0–2 की खातेदारी भूमि खसरा नं 4034 के दक्षिणी तरफ मिला दी इस प्रकार हाल सेटलमेन्ट कर्मचारीयो ने साबिका राजस्व रिकार्ड व साबिका नक्शा ट्रेस के विपरीत हाल राजस्व रिकार्ड एवं हाल नक्शा ट्रेस बिना किसी अधिकार के बनाया है जो साबिका रिकार्ड व साबिका नक्शा ट्रेस के अनुसार किया जाना आवश्यक है जिसके लिये यह आवेदन पत्र पेश है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के साबिक खसरा नंबर 2307/1 ग्राम शाहपुरा की उत्तरी तरफ की $2^{1/2}$ एयर भूमि जो हाल खसरा नंबर 4034/0.11 है0 के दक्षिणी तरफ शामिल कर दी गयी को दुरूस्ती की जाकर हाल खसरा नंबर 4034/0.11 है0 के दक्षिणी तरफ की $2^{1/2}$ एयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दी जाकर हाल नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड साबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं साबिका नक्शा ट्रेस के अनुसार किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया एवं तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में जवाब/रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/12 दिनांक 02.01.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर एवं अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी के अनुतोष का वर्णन एवं तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि '' खसरा नंबर 4033 व 4032 में कुल 0.0250 है0 कृषि भूमि पुराने रिकॉर्ड के अनुसार मैट्रिक में बदलने पर कम हुई है। अतः खसरा नंबर 4033 की उत्तरी सीमा को खसरा नंबर 4034 की तरफ खिसकाकर खसरा नंबर 4034 में से 0.0250 है0 भूमि कम करते हुये खसरा नंबर 4033 के रकबे में 0.0250 है0 भूमि बढ़ाया जाना उचित है।'' अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किये जाने हेतु वकील प्रार्थी ने निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि ''साबिक खसरा संख्या 2307 के उत्तर में खसरा नंबर 2308 स्थित था तथा 2308 के उत्तर में 2310 व 2311 स्थित था। वर्तमान खसरा नंबर 4034 रकबा 0.11 है0 जो साबिक खसरा नंबर 2307 मी., 2307 मी., 2310 मी., व 2311 मी. से मिलकर बना है जो वर्तमान खसरा नंबर 4033 के उत्तर में स्थित है। खसरा संख्या 4034 रकबा 0.11 है0 पी0डब्ल्यु0डी0 विभाग के नाम दर्ज है। खसरा नंबर 4033 व 4032 में कुल 0.0250 है0 कृषि भूमि पुराने रिकॉर्ड के अनुसार मैट्रिक में बदलने पर कम हुई है। अतः खसरा नंबर 4033 की उत्तरी सीमा को खसरा नंबर 4034 की तरफ खिसकाकर खसरा नंबर 4034 में से 0.0250 है0 भूमि कम करते हुये खसरा नंबर 4033 के रकबे में 0.0250 है0 भूमि बढ़ाया जाना उचित है।'' इस प्रकार तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में उक्त

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

दुरूस्ती किये जाने हेतु सहमति दी है। अतः प्रार्थना–पत्र मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है एवं आराजी खसरा नंबर 4033 व 4032 में कुल 0.0250 है0 कृषि भूमि पुराने रिकॉर्ड के अनुसार मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर कम होने से खसरा नंबर 4033 की उत्तरी सीमा को खसरा नंबर 4034 की तरफ खिसकाकर खसरा नंबर 4034 में से 0.0250 है0 भूमि कम करते हुये खसरा नंबर 4033 के रकबे में 0.0250 है0 भूमि बढ़ाई/दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 6/5/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार खेकड़ आर.ए.एस.)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)